इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4773

9 मई, 2013 को उत्तर के लिए

इस्पात परियोजनाओं के लिए ऋण/वित्तीयन की सुविधा पर रोक लगाया जाना

4773. श्री नरेश अग्रवाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों ने नई इस्पात परियोजनाओं को वित्तीय सुविधा और ऋण देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा निवेशों/वित्तीय मामलों एवं क्रियान्वयन इत्यादि संबंधी विस्तृत कार्यनीति के निर्णय पूर्ण रूप से संबंधित निवेशकों द्वारा विभिन्न घटकों यथा विद्यमान एवं प्रत्याशित बाजार/आर्थिक परिस्थितियों इत्यादि के मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं। इस्पात क्षेत्र को बैंकों द्वारा सामान्य तौर पर ऋण सुविधाएं प्रदान न किए जाने के संबंध में इस्पात मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

****